

# मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेठा हिल्स, भोपाल

क्र. ५१३ / योजना/NR-1/MGNREGS-MP/2010

भोपाल, दिनांक २६/०४/2010

प्रति,

1. कमिशनर (समस्त)
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त)  
मध्यप्रदेश

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश के नाम में संशोधन विषयक।

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्र 131 दिनांक 11.1.2010

2. भारत सरकार का पत्र क्रमांक जे-11011/3/2009—एनआरईजीए दिनांक 7.1.2010

संदर्भित पत्र क्रमांक 1 द्वारा भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005' का नाम दिनांक 2.10.2010 से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005' किया गया है।

संदर्भित संलग्न पत्र क्रमांक 2 के तारतम्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश के नाम में संशोधन कर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—मध्यप्रदेश' किया गया है।

कृपया योजनांतर्गत जॉबकार्ड, समस्त दस्तावेजों, अभिलेखों, पत्राचार, प्रचार-प्रसार सामग्री इत्यादि पर उपरोक्तानुसार योजना का नाम अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

*Sar*  
(रश्मि अरुण शर्मा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.  
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. ५१३४ / योजना/NR-1/MGNREGS-MP/2010

भोपाल, दिनांक २६/०४/2010

प्रतिलिपि—

श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, एमजीएनआरईजीए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली की ओर सादर सूचनार्थ।

*Jn*  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र.  
मुख्यालय, भोपाल